

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प. 4 (45)नविवि/11/2007 पार्ट

जयपुर, दिनांक 17 JUL 2019

::आदेश::

श्री वी.के. सक्सैना, अधिशाषी अभियंता वर्तमान में अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में पदस्थापित हैं। श्री वी.के. सक्सैना, अधिशाषी अभियंता को भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी (अलवर) के कार्यालय आदेश क्रमांक 631-35/19 दिनांक 21.2.2019 को कार्यमुक्त किये गये। श्री सक्सैना ने नगरीय विकास विभाग में दिनांक 11.3.2019 को आदेशों की प्रतीक्षा में अपनी उपस्थिति दी है। श्री सक्सैना दिनांक 22.2.2019 से दिनांक 10.3.2019 तक उपार्जित अवकाश पर रहे हैं।

श्री वी.के. सक्सैना, अधिशाषी अभियंता का नगरीय विकास विभाग के समसंख्य आदेश दिनांक 19.06.2019 द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में पदस्थापन किया गया।

अतः श्री वी.के. सक्सैना, की पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा अवधि दिनांक 11.03.2019 से 19.06.2019 (101 दिवस) तक को राजस्थान सेवा नियमों के नियम-7(8) (ख) (III) के अन्तर्गत ड्यूटी पर माने जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। उक्त नियमों के नियम-25-ए के तहत उक्त अवधि का वेतन एवं भत्ते अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर से किए जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

श्री सक्सैना, अधिशाषी अभियंता का भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी (अलवर) से कार्यमुक्त दिनांक 22.02.2019 से दिनांक 10.03.2019 तक की अवधि का उपार्जित अवकाश इनके अवकाश खाते में बकाया होने की स्थिति में अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।

यह स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञासे,


(कन्हैया लाल स्वामी)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी (अलवर) को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि श्री वी.के. सक्सैना, अधिशाषी अभियंता का सेवाभिलेख अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को भिजवाने का श्रम करें।
5. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
6. संबंधित अधिकारी।
7. रक्षित पत्रावली।


(कैलाश चन्द्र कुमावत)

शासन सहायक सचिव-द्वितीय